

प्रपत्र 4: आधार नामांकन और अद्यतीकरण

भारत के बाहर के पते के सबूत वाले अनिवासी भारतीय बालक/बालिका

(5 वर्ष और उससे अधिक और 18 वर्ष से कम आयु) के लिए

कृपया इस प्रपत्र के नीचे दिए गए अनुदेशों का अनुसरण करें और केवल बड़े (ब्लॉक या कैपिटल) अक्षरों का प्रयोग करें।

नोट: इस प्रपत्र का उपयोग उस तारीख को और से किया जा सकता है जिस पर प्राधिकरण उसकी वेबसाइट के जरिए इसकी सार्वजनिक सूचना देता है।

प्रपत्र 4 भरने के लिए अनुदेश

क्र.सं.	मद	अनुदेश	अनिवार्य या ऐच्छिक
1	प्रयोजन	कृपया केवल एक, जो भी लागू हो, पर सही का निशान (✓) लगाएँ।	अनिवार्य
2	जनसांख्यिकीय सूचना:		
(क)	नाम	(1) कृपया जैसा लागू हो, ब्यौरे भरें। (2) कृपया शिष्टाचारसूचक शब्द (श्री, कुमारी, सुश्री, यिरु आदि), सम्मान शब्द (ऐक्सिलिसिआस्टिकल उपाधि आदि) और उपनाम (उर्फ, ए. के. ए. आदि) को छोड़ दें, भले ही दस्तावेज में यह आता हो।	अनिवार्य
(ख)	जन्म तिथि (डीओबी) या आयु	(1) कृपया जैसा लागू हो, डीओबी या आयु का ब्यौरा भरें। (2) "सत्यापित", "घोषित" या "अनुमानित" में से, जो लागू हो, केवल एक पर सही का निशान (✓) लगाएँ। (3) यदि जन्म तिथि का सबूत (पीडीबी) उपलब्ध है और प्रस्तुत किया जा रहा है तो "सत्यापित" पर सही का निशान लगाएँ। (4) यदि पीडीबी उपलब्ध नहीं है तो, आवेदक या तो घोषित जन्म तिथि (डीओबी) या अनुमानित आयु दे सकता/सकती है, जिस स्थिति में केवल जन्म का वर्ष आधार कार्ड पर मुद्रित किया जाएगा।	अनिवार्य
(ग)	लिंग	कृपया केवल एक, जो भी लागू हो, पर सही का निशान (✓) लगाएँ।	अनिवार्य
(घ)	ईमेल	कृपया जैसा लागू हो, ब्यौरे भरें।	अनिवार्य
(ङ)	मोबाइल नंबर	(1) कृपया जैसा लागू हो, ब्यौरे भरें। (2) अनिवासी-भारतीय के मोबाइल नंबर के मामले में, उस पर कोई एसएमएस/टेक्स्ट संदेश नहीं भेजा जाएगा।	ऐच्छिक
3	नामांकन/अद्यतीकरण का आधार	कृपया केवल एक, जो भी लागू हो, पर सही का निशान (✓) लगाएँ।	अनिवार्य
4	दस्तावेज-आधारित नामांकन/अद्यतीकरण के लिए, अतिरिक्त जनसांख्यिकीय सूचना और प्रस्तुत दस्तावेज़ :		
(क)	पता	(1) भरा गया विवरण वैध भारतीय पासपोर्ट में दिए गए विवरण के समान होना चाहिए। (2) आधार पत्र को भारतीय डाक के माध्यम से भरे गए पते पर भेजा जाएगा।	अनिवार्य
(ख)	प्रस्तुत दस्तावेजों के प्रकार	(1) दस्तावेज का प्रकार यूआईडीएआई की वेबसाइट और नामांकन केंद्रों पर प्रदर्शित "स्वीकार्य सहायक दस्तावेजों की सूची" में विनिर्दिष्ट प्रकारों में से होना चाहिए। (2) मूल दस्तावेज प्रस्तुत करना अनिवार्य है। इसे एक इलेक्ट्रॉनिक प्रतिलिपि बनाने और मूल के विरुद्ध सत्यापित करने के बाद वापस कर दिया जाएगा। (3) वैध भारतीय पासपोर्ट ही एकमात्र स्वीकार्य पीओआई और पीओए है।	अनिवार्य
5	एचओएफ आधारित नामांकन या-पते के अद्यतीकरण के लिए, अतिरिक्त सूचना और प्रस्तुत दस्तावेज़ :		
(क)	एचओएफ के ब्यौरे	(1) कृपया (i) में जो लागू हो, ब्यौरे भरें। (2) कृपया (ii) में, जो लागू हो, केवल एक पर सही का निशान (✓) लगाएँ। (3) एचओएफ-आधारित नामांकन या जनसांख्यिकीय सूचना के अद्यतीकरण के लिए, एचओएफ 18 वर्ष या अधिक आयु का और बालक/बालिका का माता, पिता या विधिक संरक्षक होना चाहिए।	अनिवार्य
(ख)	प्रस्तुत संबंध का सबूत (पीओआई) दस्तावेज का प्रकार	(1) दस्तावेज का प्रकार यूआईडीएआई की वेबसाइट और नामांकन केंद्रों पर प्रदर्शित "स्वीकार्य सहायक दस्तावेजों की सूची" में विनिर्दिष्ट प्रकारों में से होना चाहिए। (2) मूल दस्तावेज प्रस्तुत करना अनिवार्य है। इसे एक इलेक्ट्रॉनिक प्रतिलिपि बनाने और मूल के विरुद्ध सत्यापित करने के बाद वापस कर दिया जाएगा।	अनिवार्य
6	अद्यतीकरण के लिए, अतिरिक्त सूचना :		
(क)	बालक/बालिका का आधार नंबर	कृपया जैसा लागू हो, ब्यौरे भरें।	अनिवार्य
(ख)	अद्यतीकृत की जाने वाली सूचना	कृपया एक या अधिक, जो भी लागू हो, पर सही का निशान (✓) लगाएँ।	अनिवार्य

नामांकन केंद्र पर नामांकन और अद्यतीकरण सेवा के लिए फीस

क्र.सं.	सेवा	फीस
1.	नामांकन	नि:शुल्क
2.	बायोमेट्रिक सूचना (फोटो, अंगुलियों की छाप और आइरिसें) का अद्यतीकरण	(क) यदि 5 से 7 वर्ष की आयु के बीच एक बार किया गया है : नि:शुल्क (ख) यदि 15 से 17 वर्ष की आयु के बीच एक बार किया गया है : नि:शुल्क (ग) यदि अन्यथा किया गया है : ₹ 100
3.	जनसांख्यिकीय सूचना (नाम, लिंग, जन्म तिथि, पता, मोबाइल नंबर या ईमेल पता) का अद्यतीकरण	(क) यदि बायोमेट्रिक सूचना के अद्यतीकरण के समय ही किया गया है : नि:शुल्क शुल्क (केवल बायोमेट्रिक अद्यतीकरण का ही शुल्क लागत) (ख) यदि सभी या किसी जनसांख्यिकीय सूचना के लिए, अलग से किया गया है : ₹ 50
4.	पीओआई और पीओए दस्तावेजों (पते और पहचान के सबूत के साक्ष्य) का अद्यतीकरण	₹ 50

नोट : आवेदक के विदेशी पते को आधार पत्र भेजने के लिए, ऐसा प्रभार देय होगा जो प्राधिकरण समय-समय पर विनिर्दिष्ट करे और उसकी वेबसाइट पर प्रदर्शित करे।